# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS**

---

---

प्रकरण सं. 515/2018 वाद

कौशल्या पत्नी रोशनलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी मनोहरखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. श्रीमती हगामी पत्नी गोपाललाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
2. गोपाललाल पिता ख्यालीलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सुरेश पिता ख्यालीलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरक5ार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.**

**श्री घनश्याम असावा अधिवक्ता वादीया, उपस्थित**

निर्णय दिनांक 08.01.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा पीलखेड़ी में खाता संख्या 61 की आराजी नं. 765 रकबा 3.3400 हेक्टैयर भूमि स्थित है जिसमें वादीया का 184/334 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 107/334, प्रतिवादी संख्या 2 का 38/334 व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/334 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। मौके पर इसी अनुसार सहमति से बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से रकबे की कमी बेशी व लगान को लेकर आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। इसलिए मजबुरन वादीया को यह वाद बंटवारे का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि का बंटवारा पक्षकारान

के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करते हुए वादीया का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीया एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम पीलखेडी की खाता संख्या 61 की छायाप्रति प्रदर्श-1 प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादीया ने स्वयं का पीडब्ल्यु-1, व गोपाललाल पिता भगवानलाल धाकड़ पीडब्ल्यु-2 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया व बयान करवाये। रेकार्ड में विवादित भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीया विवादित भूमि के 184/334 हक हिस्से की रेकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का विधिवत बंटवारा कराने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से भी वादीया के कथनों को बल मिलता है। वादीया का दावा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि मौजा पीलखेडी की खाता संख्या 61 की आराजी नं. 765 रकबा 3.3440 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। वादीया का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.02.2019 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादीया से वसूल की जावे। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.02.2019 को प्रस्तुत हो।

यह आज तारीख 08.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS**

प्रकरण सं. 515/2018 वाद

कौशल्या पत्नी रोशनलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी मनोहरखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. श्रीमती हगामी पत्नी गोपाललाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
2. गोपाललाल पिता ख्यालीलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सुरेश पिता ख्यालीलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.**

प्रकरण में दिनांक 08.01.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/242, दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वादी वादीया कतई डिक्री किया जाता है। मौजा पीलखेड़ी की प्रश्नगत आराजीयात आराजी नं. 765 रकबा 3.3400 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– श्रीमती हगामी बाई पत्नी गोपाललाल धाकड़, सा. कनेरा के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा–

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|---|---|---|
| 765 (पश्चिमी) | 1.0700 | 12.84 |

2– श्रीमती कौशल्या पत्नी रोशनलाल धाकड़, सा. मनोहरखेड़ी के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा–

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|---|---|---|
| 765 | 0.0100 | आ.चाह |
| 765 (उत्तरी) | 1.8300 | 22.08 |

.................................................................................................................

कुल किता 2 कुल रकबा 1.8400 हेक्टेयर कुल लगान 22.08 रूपये

.................................................................................................................

3– श्री गोपाल 38/43, सुरेश 5/43 पिता ख्याली अहीर, सा. देह के रहेगी–

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|---|---|---|
| 765 (दक्षिणी) | 0.4300 | 5.16 |

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 13.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**(पंकज शर्मा)**
**पीठासीन अधिकारी**
**उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: